राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

क्रमांक: क्षेत्र प्रचार/2020/ 457-493 जयपुर, दिनांक: 18.9.2020

समस्त प्रभारी,
जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय

विषयः कोरोना महामारी से बचाव हेतु प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों को निरंतर जारी रखने बाबत।

संदर्भः 1. विशेष जागरूकता अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश कमांक: 6746 दिनांक: 16.06.2020।

2. कोरोना महामारी से बचाव हेतु जिला सूचना केन्द्रों पर 01 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक प्रदर्शनी लगाने बाबत आदेश कमांक: 7372-7440 दिनांक: 25.06.2020।

3. सार्वजनिक माइक सिस्टम से उद्घोषणा कर आमजन को कोरोना बचाव के लिए जागरूकता संदेश देने बाबत आदेश कमांक: 18949-19014 दिनांक: 27.08.2020।

प्रदेश में कोरोना का खतरा बरकरार है और संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन हटने के बाद शुरू हुई व्यावसायिक व अन्य गतिविधियों के कारण संक्रमण का खतरा नहीं रहे और लोग कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरतें, इस उद्देश्य से प्रदेश में 21 जून से 7 जुलाई 2020 तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया था। माननीय मुख्यमंत्रीजी की निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में गांव, ढाणी, वार्डों एवं मोहल्लों तक लोगों को इस महामारी से बचाव के प्रति विभिन्न प्रचार माध्यमों से जागरूक किया गया।

इसी क्रम में मुख्य सचिव महोदय के स्तर से दिनांक 25 जून 2020 को जारी आदेश द्वारा प्रदेश के सभी जिला सूचना केंद्रों पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव विषय पर 1 जुलाई 2020 से निरंतर प्रदर्शनी लगाने का निर्णय किया गया। यह वर्तमान में भी जारी है।

कोरोना महामारी से बचाव के लिए को आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश की पालना में दिनांक 28 जुलाई 2020 को शहरी क्षेत्रों की तंग गलियों और मोहल्लों में ऑटो रिक्शा/थ्री-व्हीलर पर सार्वजनिक माइक सिस्टम के माध्यम से उद्घोषणा कर आमजन तक जागरूकता संदेश पहुंचाने का निर्णय किया गया। इसे लगातार जारी रखा गया है।

इन सब प्रयासों के बावजूद यह देखा जा रहा है कि जैसे-जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे-वैसे लोगों में कोरोना का डर कम हो रहा है जो कि सही नहीं है।

अतः आप सबको निर्देशित किया जाता है कि कोरोना जागरूकता गतिविधियों में पूरी गति से निरंतर जारी रखा जाए और इन्हें कमजोर न पड़ने दें। इन गतिविधियों में किसी प्रकार की कोताही न बरतें।

मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना जागरूकता संवाद में विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ चर्चा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नो मास्क नो एंट्री के संकल्प को लागू करने पर जोर दिया गया। इसकी जिम्मेदारी समुदाय व सामाजिक संगठनों को लेनी होगी। प्रशासन

Scanned with Cam

यथोचित सहयोग करेगा। अतः आप अपने जिले में इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रचार सामग्री विकसित करें।

आपके द्वारा सूचना केंद्रों पर चलाई जारी प्रदर्शनी को जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, नगर पालिका आयुक्त से सहयोग लेकर म्यूनिसिपल टाउन, पंचायत समिति तक ले जाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए संबंधित नगर पालिका और पंचायत समिति के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। साथ में सार्वजनिक माइक प्रणाली को भी पूरे जिले में बढ़ाया जाए।

इन सभी गतिविधियों के लिए आपको पूर्व की भांति आवश्यकतानुसार बजट आवंटित भी किया जा रहा है। साथ ही आपके पास उपलब्ध बजट का भी इन गतिविधियों में समुचित उपयोग किया जा सकता है।

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः क्षेत्र प्रचार / 2020 / 457-493 जयपुर, दिनांकः 18.9.2020

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय,सूजस।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूजस।
4. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

Scanned with Cam